राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 126/2019

श्रीमती समावति शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. श्रीमान् मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान, बीकानेर।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय उद्योगशाला खण्ड इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.02.2019

आदेश की दिनांक : 29.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अजय राज टांटिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी के पति का सेवाभिलेख का अवलोकन किए जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशानुसार द्वितीय व तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनांक से प्रदान किया जावे और पेंशन/वेतन का पुनर्निधारण कर देय होने वाली पेंशन पर पुनर्निधारण किया जावे तथा शेष राशि का भुगतान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पति की नियुक्ति फोरमैन के पद पर दिनांक 05.01.1963 को हुई थी और दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अर्द्धस्थायी घोषित किया गया तथा दिनांक 31.03.1995 को राजकीय

सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। आदेश दिनांक 20.12.1996 के अनुसार वर्कचार्ज कर्मचारियों को दिनांक 01.03.1979 से नियमित किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी को भी नियमित कर्मचारी घोषित किया गया और इस प्रकार प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ वर्ष 1988 से देय माना गया। 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को नियमितीकरण दिनांक 01.03.1979 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है। जबकि द्वितीय व तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। जबकि अपीलार्थी ने समय–समय पर प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, परंतु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2867/1984 ओमप्रकाश बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 17.12.1992 में निम्नलिखित आदेश पारित किया :–

> *"In the result, I allow all the three writ peteition and direct that the petitioner shall be entitled to the pensionary benefits which are admissible to other employees of the State and their previous temporary services shall be conuted according to the rules and their pension shall be determined and they shall be paid all other pensionary benefits to which they are eligible under the RSR."*

उक्त आदेश से स्पष्ट है कि वर्कचार्ज कर्मचारियों को चयनित वेतनमान स्वीकृत करने हेतु उनकी सेवाओं की गणना अर्द्धस्थायी व अस्थायी सेवाओं को जोडकर होने पर वेतनमान प्राप्त करने की दिनांक से की जाएगी। परंतु अपीलार्थी को उक्त आदेश की पालना में भी वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया, जो विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी के पति का सेवाभिलेख का अवलोकन किए जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशानुसार द्वितीय व तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनांक से प्रदान किया जावे और पेंशन/वेतन का पुनर्निधारण कर देय होने वाली पेंशन पर पुनर्निधारण किया जावे तथा शेष राशि का भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि वित्त विभाग द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारियों

की चयनित वेतनमान दिए जाने के संबंध में आदेश दिनांक 20.09.1995 के बिंदु संख्या 19 एवं दिनांक 03.03.1997 के अधिक्रमण में आदेश दिनांक 04.03.1998 जारी किया गया, जिसके अनुसार वर्कचार्ज कर्मचारियों एवं नियमित किए गए वर्कचार्ज कर्मचारियों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान दिनांक 01.01.1998 से देय होंगे और उक्त वेतनमान स्वीकृत करने हेतु सेवा की गणना उनके अर्द्धस्थायी होने पर वेतनमान प्राप्त करने की दिनांक से की जावेगी। अर्द्धस्थायी कर्मचारियों की सेवा की गणना अर्द्धस्थायी दिनांक से किए जाने संबंधी वित्त विभाग के आदेश दिनांक 04.03.1998 को जारी किए गए थे। जबकि विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी दिनांक 31.03.1995 को ही सेवानिवृत्ति हो गए। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के पति की नियुक्ति फोरमैन के पद पर दिनांक 05.01.1963 को हुई थी और दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अर्द्धस्थायी घोषित किया गया तथा दिनांक 31.03.1995 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। आदेश दिनांक 20.12.1996 के अनुसार वर्कचार्ज कर्मचारियों को दिनांक 01.03.1979 से नियमित किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी को भी नियमित कर्मचारी घोषित किया गया और इस प्रकार प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ वर्ष 1988 से देय माना गया। जहां तक अपीलार्थी को द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण किए जाने पर दिए जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी को दिनांक 01.03.1979 से नियमित किया गया और वर्ष 1988 में 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया और 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी वर्ष 1997 में द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है, परंतु अपीलार्थी दिनांक 31.03.1995 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति दिनांक से 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जहां तक अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2867/1984 ओमप्रकाश बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 17.12.1992 के आधार पर अपीलार्थी द्वारा चाहे गए अनुतोष दिए जाने का

प्रश्न है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का मामला उक्त मामले से भिन्न है। चूंकि अपीलार्थी नियमित नियुक्ति दिनांक से 18 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने से पूर्व ही राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी उक्त अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील में बल न होने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य